इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70] भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 फरवरी 2015—माघ 22, शक 1936

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 फरवरी 2015

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम, 2015

क्र. एफ-37-2-2015-बीस-3.—मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1965 (क्रमांक 23 सन् 1965) की धारा 27 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शालाओं की अनुमति/मान्यता एवं मान्यता वृद्धि हेतु निम्नलिखित नियम बनाता है:—

1. **संक्षिप्त शीर्षक, प्रभावशीलता एवं क्षेत्र.**—ये नियम ''मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला विभागीय अनुमति/ मान्यता नियम, 2015'' कहलायेंगे, जो मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे. ये नियम शैक्षणिक वर्ष 2015-16 से हाई स्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की नवीन मान्यता एवं मान्यता वृद्धि नये संकाय का प्रारंभ, अतिरिक्त माध्यम की स्वीकृति एवं दाखिल किये जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि तथा तत्संबंधी विषयों के लिये मानदण्डों और मानकों को कवर करते हुए हाईस्कूल एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित सभी विषयों पर लागू होंगे. शैक्षणिक सत्र 2014-15 तक के प्रकरण तत्समय प्रचलित व्यवस्था अनुसार निराकृत किये जायेंगे.

2. **परिभाषाएं.**—जब तक अन्यथा प्रयोजन न हो—

2.1 नियम से तात्पर्य है—''मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला विभागीय अनुमति/ मान्यता नियम, 2015''.

2.2 ''आयुक्त'' से तात्पर्य है—''आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय'', मध्यप्रदेश.

2.3 ''कलेक्टर'' से तात्पर्य है— जिले में राज्य शासन द्वारा पदस्थ किया गया जिला कलेक्टर.

2.4 ''जिला शिक्षा अधिकारी'' से तातपर्य है—राज्य शासन द्वारा जिले में पदस्थ किये गये स्कूल शिक्षा विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी.

2.5 ''मान्यता समिति से तार्त्य है—नियम 3 के अन्तर्गत गठित मान्यता समिति''.

3. **मान्यता समिति का गठन कार्यक्षेत्र एवं अधिकार.**— 3.1 राज्य शासन की मान्यता समिति में निम्नानुसार सदस्य होंगे:—

(i)	मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन	–	अध्यक्ष
(ii)	अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा मण्डल	–	सदस्य
(iii)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.	–	सदस्य
(iv)	आयुक्त, लोक शिक्षण	–	सदस्य
(v)	संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, जिसे आयुक्त द्वारा मान्यता का कार्य करने के लिये अधिकृत किया जाय.	–	सदस्य-सचिव

3.2 मान्यता समिति द्वारा संस्थाओं तथा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने संबंधी नीति निर्धारण, सिद्धान्त, प्रक्रिया एवं इन नियमों में वर्णित व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये आवश्यक निर्देश तथा मार्गदर्शी सिद्धांत समय-समय पर तय किये जावेंगे. मान्यता समिति द्वारा इस प्रकार से निर्धारित एवं जारी निर्देश तथा व्यवस्था संस्थाओं एवं सर्व संबंधितों पर इन नियमों के अन्तर्गत बंधनकारी होगी. विशिष्ट परिस्थितियों में कारण दर्शाते हुये इन नियमों में वर्णित मापदण्डों एवं अन्य शर्तों में शिथलीकरण/छूट का अधिकार मान्यता समिति को होगा, किन्तु ऐसे शिथलीकरण अथवा छूट की अधिकतम अवधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी. किसी भी परिस्थिति में भूमि-भवन की न्यूनतम आवश्यकता में मान्यता समिति द्वारा कोई छूट स्वीकृत नहीं की जायेगी.

3.3 मान्यता शुल्क, प्रक्रिया शुल्क, विलम्ब शुल्क एवं अन्य शुल्क मान्यता समिति द्वारा समय-समय पर निर्धारित/पुनरीक्षित किया जा सकेगा.

3.4 मान्यता समिति की बैठक समिति के अध्यक्ष के आदेशानुसार बुलाई जा सकेगी.

3.5 मान्यता समिति की बैठक के लिये कम से कम तीन सदस्यों का कोरम होना अनिवार्य है, जिसमें मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव तथा आयुक्त, लोक शिक्षण की उपस्थिति अनिवार्य होगी.

4. **मान्यता /मान्यता वृद्धि हेतु सक्षम प्राधिकारी.**— संस्था को नवीन मान्यता देने, पूर्व से मान्यता प्राप्त संस्थाओं की मान्यता वृद्धि करने एवं अन्य विषयों के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों पर निर्णय लेने के लिये निम्नांकित अधिकारीगण सक्षम अधिकारी होंगे:—

4.1 नवीन मान्यता प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

4.2 मान्यता वृद्धि एवं अन्य प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जायेगा.

5. **मान्यता हेतु निर्धारित मापदण्ड.**— 5.1 मान्यता प्राप्त करने के लिये वे संस्थायें ही आवेदन कर सकेंगी, जो केन्द्रीय या मध्यप्रदेश फर्म्स एवं सोसायटी एक्ट अथवा केन्द्रीय या मध्यप्रदेश लोकन्यास अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयत हो एवं जिसकी उपविधियों में शैक्षणिक कार्य करने का प्रावधान हो.

5.2 **भूमि एवं भवन.**— 5.2.1 संस्था के पास हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 4,000 वर्गफीट तथा हायर सेकेण्डरी के लिये न्यूनतम 5,600 वर्गफिट भूमि होना चाहिये. उक्त भूमि में से हाईस्कूल के लिये न्यूनतम 2,000 वर्गफीट निर्मित तथा 2000 वर्गफीट खुली भूमि एवं हायर सेकेण्डरी के लिये न्यूनतम 2,600 वर्गफिट निर्मित तथा 3000 वर्गफिट खुली भूमि होना चाहिये.

उपरोक्तानुसार निर्धारित न्यूनतम सीमा की बाध्यता के अन्तर्गत रहते हुये संस्था में दर्ज प्रति छात्र 10 वर्गफीट निर्मित क्षेत्र एवं प्रति छात्र 5 वर्गफिट खुली भूमि होना चाहिये. यदि कोई विद्यालय दो पारियों में लगता है तो प्रत्येक पारी में अध्ययनरत छात्रों की संख्या के अनुपात में उपरोक्त मान से न्यूनतम क्षेत्रफल की गणना की जायेगी.

5.2.2 संस्था के पास उपरोक्त न्यूनतम शर्तों को ध्यान में रखते हुए स्वयं का अथवा किराये का भवन होना चाहिये, जिसमें हाई स्कूल की कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिये पृथक्-पृथक् 2 अध्यापन कक्ष, हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिये प्रति संकाय कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं के लिये पृथक्-पृथक् 2 अध्यापन कक्ष, 1 प्राचार्य कक्ष, 1 कार्यालय कक्ष, 1 पुस्तकालय कक्ष, विषयवार पृथक्-पृथक् प्रयोगशाला कक्ष, समुचित संख्या में बालक एवं बालिकाओं के लिये प्रसाधन कक्ष आदि होना चाहिये. यदि किसी स्कूल में एक से अधिक माध्यम संचालित हैं तो माध्यम वार अध्यापन कक्षों की संख्या की आवश्यकता का आंकलन भी आनुपातिक रूप से बढ़ेगा.

5.2.3 अशासकीय शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा यदि कोई भूमि या भवन शिक्षण कार्य के लिये किराये पर लिया गया है तो उसका पंजीयत दस्तावेज होना चाहिये. इसकी प्रति संस्था द्वारा मान्यता हेतु दिये जाने वाले आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना होगी.

5.2.4 शिक्षण संस्थाओं में आग से बचाव हेतु नियमानुसार समुचित व्यवस्था की जावेगी.

5.2.5 संस्था में नि:शक्त छात्र होने पर उनके लिए नियमानुसार आवश्यक व्यवस्था की जावेगी.

5.2.6 ऐसी अशासकीय संस्था जो म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम, 2010 दिनांक 19 मई 2010 के प्रभावशील होने के पूर्व से संचालित होकर माध्यमिक शिक्षा मण्डल से लगातार मान्यता प्राप्त रही है एवं ऐसे क्षेत्र में स्थित है जहां संस्था के विद्यालय के पास निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति के लिये न्यूनतम आवश्यक खुली भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना आज की स्थिति में संभव नहीं है, की मान्यता के नवीनीकरण हेतु सिर्फ खुली भूमि की शर्त के संबंध में कलेक्टर द्वारा कारणों को लिखित करते हुये शिथिलता दी जा सकेगी.

5.3 **अध्यापन कक्ष.**—संस्था के भवन में संचालित कक्षाओं व उनके वर्गों (Sections) की संख्या के मान से अध्यापन कक्ष होंगे. प्रत्येक वर्ग में 45 से अधिक छात्रों की संख्या नहीं होगी. संस्था के प्राचार्य व कार्यालय के लिये भी समुचित कक्षों की व्यवस्था होगी.

5.4 **प्रयोगशाला.**—प्रत्येक संस्था में हाईस्कूल के लिये प्रयोगशाला व हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के लिये विज्ञान संकाय होने पर भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान के लिये पृथक् -पृथक् निर्धारित संख्यानुसार आवश्यक प्रयोगशाला उपकरणों सहित सुसज्जित प्रयोगशालाएं होगी और इनके लिये पर्याप्त स्थान सहित पृथक् -पृथक् कक्षों की व्यवस्था आवश्यक होगी.

5.5 **पुस्तकालय.**—5.5.1 संस्था के पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकों को छोड़कर विषय से संबंधित एवं ज्ञान उपयोगी उपयुक्त पुस्तकों की प्रति छात्र के मान से न्यूनतम 2 पुस्तकों की व्यवस्था करना होगी.

5.5.2 संस्था के पुस्तकालय में जाति एवं धर्म के आधार पर भेदभाव तथा साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने वाली किन्हीं पुस्तकों का संग्रहण नहीं किया जावेगा और भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रतिबन्धित पुस्तकें भी नहीं रखी जा सकेंगी.

5.6 **खेल मैदान.**—संस्था के पास इण्डोर खेलों जैसे बैडमिंटन/ टेबल टेनिस/ कबड्डी / खो-खो / बालीबाल/ बास्केट बॉल आदि में से कम से कम दो खेलों के लिये शाला प्रांगण में सुविधा होना चाहिये.

5.7 **प्रसाधन.**—प्रत्येक संस्था में छात्र एवं छात्राओं के लिये पृथक् -पृथक् पर्याप्त एवं समुचित प्रसाधन की व्यवस्था अनिवार्य होगी.

5.8 **फर्नीचर व्यवस्था.**—प्रत्येक छात्र को बैठकर अध्ययन कार्य के लिये समुचित फर्नीचर की व्यवस्था होना चाहिये.

5.9 **पेयजल व्यवस्था.**—पेयजल की समुचित व्यवस्था करना आवश्यक होगी.

5.10 **विद्युत व्यवस्था.**—जिन स्थानों पर बिजली उपलब्ध है, वहां पर संस्था को प्रकाश एवं पंखों की व्यवस्था करना आवश्यक होगा.

5.11 **स्वास्थ्य परीक्षण एवं शारीरिक प्रशिक्षण:**—संस्था द्वारा छात्रों का वर्ष में कम से कम एक बार स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा. छात्रों को सप्ताह के एक कालखण्ड (पीरियड) में आवश्यक रूप से नैतिक शिक्षा, योग शारीरिक प्रशिक्षण एवं अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों संबंधी प्रशिक्षण दिया जावेगा.

5.12 **वित्तीय व्यवस्था.**—संस्था को पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था रखना होगी. मान्यता आवेदन के साथ पछिले वर्ष की आय-व्यय का अंकेक्षित विवरण संलग्न करना होगा.

5.13 **अध्यापन व्यवस्था.**—संस्था में हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी कक्षाओं के अध्यापन हेतु शासकीय विद्यालयों के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार ही अध्यापन की व्यवस्था होगी. सामान्यत: 160 तक विद्यार्थियों की संख्या पर प्रत्येक हाईस्कूल में शासन के मापदण्ड अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं प्रशिक्षण रखने वाले एक प्राचार्य तथा 5 शिक्षक (अंग्रेजी व हिन्दी/ संस्कृत हेतु एक-एक, विज्ञान हेतु एक, सामाजिक विज्ञान हेतु एक तथा गणित हेतु एक) रखना होंगे. उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में भी इसी प्रकार प्रत्येक विषय हेतु एक-एक व्याख्याता रखना आवश्यक होगा. प्रत्येक 30 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर एक अतिरिक्त शिक्षक रखा जाना होगा. प्रत्येक शाला में एक प्रयोगशाला सहायक तथा कार्यालय सहायक भी रखना आवश्यक होगा. राज्य शासन अथवा उनके द्वारा अधिकृत संस्था द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्येत्तर गतिविधियों का संचालन भी किया जाएगा ताकि छात्रों का सतत् एवं समग्र मूल्यांकन राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित मापदण्डों के अनुसार किया जा सके.

5.14 **सुरक्षा निधि.**—5.14.1 संस्था का मान्यता/ नवीनीकरण आवेदन स्वीकार करने हेतु उपयुक्त पाये जाने की दशा में, मान्यता आदेश जारी होने के पूर्व संस्था द्वारा जितनी अवधि के हेतु आवेदन किया गया हो उसके लिये निम्नानुसार निर्धारित सुरक्षा निधि एकमुश्त सम्पूर्ण मान्यता अवधि के लिए जमा करना होगी. सुरक्षा निधि शाला के प्राचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी के संयुक्त नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा के रूप में रखना अनिवार्य होगा:—

क्र. (1)	छात्र संख्या (2)	सुरक्षा निधि हाईस्कूल (3)	सुरक्षा निधि हाईस्कूल+ हायर सेकेण्डरी (4)
1	250 तक	25,000 रुपये	40,000 रुपये
2	251 से 500	35,000 रुपये	50,000 रुपये
3	501 से 750	50,000 रुपये	75,000 रुपये
4	751 से अधिक	75,000 रुपये	1,00,000 रुपये

5.14.2 संस्था द्वारा स्वेच्छा से मान्यता वापिस लेने या निरस्त करने हेतु लिखित आवेदन करने की दशा में संस्था द्वारा देय राशि का समायोजन करते हुए शेष राशि उसे बैंक के सावधि जमा से वापिस की जा सकेगी. इससे भिन्न परिस्थितियों में जिला कलेक्टर की स्वीकृति के बिना यह सुरक्षा निधि सावधि जमा से आहरित नहीं की जा सकेगी.

5.15 **अन्य शर्तें.**— 5.15.1 कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था "नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारी सुरक्षा, सम्पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995" के प्रावधानों के अध्याधीन रहते हुए नि:शक्त छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगी.

5.15.2 आवश्यकता पड़ने पर संस्था को उनके शिक्षक, कर्मचारी व भवन शासन एवं मण्डल की परीक्षाओं के लिये परीक्षा केन्द्र के रूप में उपलब्ध कराना होंगे. परीक्षाओं के संबंध में शासन/ मण्डल के निर्देशों का पालन किया जाना संस्थाओं के लिये अनिवार्य होगा.

5.15.3 संस्था को एक वर्ष की मान्यता के लिये मान्यता समिति द्वारा निर्धारित वार्षिक मान्यता शुल्क और एक से अधिक वर्षों के लिये मान्यता दिये जाने पर उतने ही वर्षों के लिये निर्धारित मान्यता शुल्क एकमुश्त अग्रिम के रूप में इस प्रकार जमा करना होगा जैसा मान्यता समिति विहित करें.

5.15.4 व्यावसायिक शिक्षा के पाठ्यक्रम हेतु संस्था को निर्धारित मापदण्डों की प्रयोगशाला/कार्यशाला की व्यवस्था करना होगी.

5.15.5 संस्था में कृषि संकाय होने पर उसके विषयों के शिक्षण हेतु संस्था को कम से कम एक एकड़ कृषि भूमि की व्यवस्था करना होगी.

5.15.6 संस्था में अध्ययनरत छात्रों के परिवहन हेतु संस्था द्वारा वाहन चलाये जाने की स्थिति में उन्हें निर्धारित सुरक्षा नियमों के अनुसार ही चलाया जाना अनिवार्य होगा. संस्था के पास उपलब्ध पंजीकृत वाहनों का विवरण आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा.

5.15.6 संस्था में अध्ययनरत छात्रों के परिवहन हेतु संस्था द्वारा वाहन चलाये जाने की स्थिति में उन्हें निर्धारित सुरक्षा नियमों के अनुसार ही चलाया जाना अनिवार्य होगा. संस्था के पास उपलब्ध पंजीकृत वाहनों का विवरण आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किया जावेगा.

5.15.7 स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी अधिकारी द्वारा संस्था का निरीक्षण किसी भी समय किया जा सकेगा. शाला में अध्ययन अध्यापन के स्तर में गुणवत्ता तथा सुविधाओं की उपलब्धता के संबंध में दिये गये निर्देश संस्था पर बाध्यकारी होंगे.

6. **मान्यता हेतु आवेदन की प्रकिया.**—संस्था द्वारा नवीन मान्यता अथवा मान्यता के नवीनीकरण एवं अन्य विषयों के लिये निर्धारित प्रारूप में निम्नांकित दस्तावेजों के साथ आवेदन-पत्र संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे. आवेदन-पत्र ऑन लाईन प्रस्तुत करने के संबंध में मान्यता समिति द्वारा समय-समय पर प्रसारित निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा:—

6.1 संस्था के भूमि, भवन के स्वामित्व/किराये से संबंधित पंजीयत अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रतियां. भूमि-भवन संबंधी समस्त दस्तावेज संस्था समिति के नाम पर होना अनिवार्य होगा.

6.2 सक्षम सिविल प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान तथा स्वीकृत बिल्डिंग प्लान अनुसार निर्मित किये गये भवन की पूर्णता के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति.

6.3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए भूमि प्रयोग में बदलाव के प्रमाण-पत्र की नोटरीकृत प्रति (यदि लागू हो);

6.4 ओथ कमिश्नर अथवा नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत रूप से सत्यापति 100 रुपए के स्टांप पेपर पर निर्धारित फार्म में शपथ-पत्र जिसमें भूमि की वास्तविक स्थिति (गांव, जिला, राज्य आदि) कब्जे में समग्र क्षेत्र, भूमि का शैक्षिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति तथा कब्जे की विधि अर्थात् स्वामित्व या पट्टा का वर्णन किया गया हो.

6.5 मान्यता हेतु उक्त नियम 5 में निर्धारित मापदण्डों के प्रत्येक बिन्दु के संबंध में आवश्यक विवरण संस्था के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र के साथ संलग्न किये जाएंगे.

6.6 संस्था के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 8 इंच X 5 इंच अथवा 7 इंच X 5 इंच अथवा 6 इंच X 4 इंच आकार के एक-एक रंगीन छायाचित्र निम्नानुसार संलग्न किये जाएंगे:—

6.6.1 संस्था के भवन की बाहरी सीमाओं को दर्शाते हुये सामने तथा पीछे से खींचा गया एक-एक रंगीन छायाचित्र.

6.6.2 संस्था के सभी पदाधिकारियों का समूह छायाचित्र.

6.6.3 संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकों का समूह छायाचित्र.

6.6.4 बालिकाओं एवं बालकों हेतु पृथक-पृथक टॉयलेट ब्लॉक के छायाचित्र.

6.6.5 पुस्तकालय, प्राचार्य कक्ष, स्टाफ रूम, प्रयोगशाला तथा उपलब्ध अध्यापन कक्षों के चित्र.

संस्था के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों के समूह छायाचित्र संस्था के भवन के सामने खड़े होकर ही खीचे जावेंगे. सभी समूह छायाचित्रों के पृष्ठ भाग में शाला भवन स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिये. छायाचित्र कम्प्यूटर द्वारा न बने हों.

6.7 **आवेदन-पत्र के साथ निम्नानुसार विवरण संलग्न किये जाये:—**

6.7.1 संस्था के पदाधिकारियों की उनके नाम, पद व पते सहित सूची.

6.7.2 संस्था में कार्यरत सभी शिक्षकों के कक्षावार व विषयवार नाम व शैक्षणिक योग्यता सहित सूची.

6.7.3 शाला में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं की कक्षावार, संकायवार संख्या.

6.7.4 प्रयोगशालाओं की संख्या एवं उनमें उपलब्ध उपकरणों की संख्या सहित सूची.

6.7.5 पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की विषयवार संख्या.

6.7.6 शाला में उपलब्ध कुर्सी, बैंच, मेज व आलमारियों की संख्या.

6.7.7 संस्था के संचालित बैंक खाते का विवरण, बैंक पास-बुक की अद्यतन छाया प्रति एवं वर्तमान में उपलब्ध चल-अचल संपत्ति का विवरण.

6.7.8 संस्था का गत वर्ष अंकेक्षित वार्षिक लेखा.

6.7.9 संस्था के पदाधिकारियों एवं शिक्षकों की आपराधिक पृष्ठभूमि और उनके विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लम्बित नहीं होने बाबत संस्था के सचिव/अध्यक्ष का नोटरी से प्रमाणित शपथ-पत्र.

6.7.10 संस्था में शिक्षण के माध्यम का विवरण.

6.8 आवेदन-पत्र के साथ संलग्न किये गये सभी दस्तावेज संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव द्वारा संस्था की सील लगाई जाकर हस्ताक्षरित होना चाहिये.

6.9 मान्यता नवीनीकरण हेतु आवेदन के साथ भूमि, भवन के संबंध में नये सिरे से दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने होंगे, किन्तु निर्मित भवन के छायाचित्र तथा गत वर्ष का अंकेक्षित लेखा विवरण, प्रयोगशाला, उपकरण, फर्नीचर तथा पूर्व में दी गई जानकारी में हुये परिवर्तनों की सूची संलग्न करना आवश्यक होगी.

7. **मान्यता की अवधि.**—संस्था को प्रथम बार दो वर्ष के लिए नवीन मान्यता प्रदान की जावेगी. पूर्व से मान्यता प्राप्त शाला को आवेदन अनुसार 1 से 5 वर्ष तक की अवधि के लिये मान्यता वृद्धि प्रदान की जा सकेगी. किसी एक संस्था को एक ही वर्ष में कक्षा 9वीं तथा कक्षा 10वीं अथवा कक्षा 11वीं एवं कक्षा 12वीं की एक साथ मान्यता नहीं दी जायेगी. मापदण्ड पूर्ण होने की स्थिति में कक्षा 9वीं तथा कक्षा 11वीं की मान्यता एक साथ दी जा सकेगी.

8. **मान्यता/मान्यता वृद्धि की प्रक्रिया.**—8.1 संस्था द्वारा सभी दृष्टियों से परिपूर्ण सुसंगत आवेदन-पत्र जिला शिक्षा अधिकारी को ऑनलाईन प्राप्त होने पर, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा गठित निरीक्षण दल, जिसमें संबंधित संकुल के प्राचार्य एवं एक अन्य वरिष्ठ व्याख्याता/शिक्षक/वरिष्ठ अध्यापक होना आवश्यक है, के द्वारा संस्था का निरीक्षण कराया जाएगा, जिससे कि पाठ्यक्रम शुरू करने अथवा पाठ्यक्रम का संचालन निरंतर करने हेतु मान्यता वृद्धि के लिये संस्था की सक्षमता के संबंध में आंकलन किया जा सके. ऐसा निरीक्षण संस्था की सहमति के अध्याधीन नहीं होगा. संस्था से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह निरीक्षण के समय निरीक्षण दल को वांछित समस्त मूल अभिलेख तथा विवरण प्रस्तुत करें.

8.2 नए पाठ्यक्रमों अथवा मौजूदा पाठ्यक्रम में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि के लिए निरीक्षण के समय निरीक्षण दल ऐसे मौजूदा शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए, जिनके लिये पूर्व से मान्यता प्राप्त है, सुविधाओं का सत्यापन करेगा. साथ ही मौजूदा पाठ्यक्रमों के संबंध में मानदण्डों तथा मानकों की पूर्ति और अनुरक्षण के बाबत जांच करेगा. निरीक्षण दल द्वारा 7 दिनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा.

8.3 निरीक्षण दल से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर मान्यता वृद्धि/नवीनीकरण के प्रकरणों में जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त होने के दिनांक से 7 दिनों में निर्णय लिया जायेगा. नवीन मान्यता के प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने मत सहित जिला कलेक्टर को निर्णय के लिये प्रस्तुत किये जायेंगे.

8.4 किसी संस्था को मान्यता प्रदान करने अथवा अनुमति दिए जाने के बारे में निर्णय लेने के पूर्व कलेक्टर/जिला शिक्षा अधिकारी अपनी पूर्ण संतुष्टि करेंगे कि संस्था, केन्द्र/राज्य शासन के विभिन्न अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों के अधीन विहित सभी शर्तें जिनमें संबंधित हाईस्कूल अथवा/एवं उ. मा. शिक्षा पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित मानदण्ड और मानक शामिल हैं, की पूर्ति करती है.

8.5 जिला कलेक्टर द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने के दिनांक से 10 दिनों में प्रकरण में अंतिम निर्णय लेंगे.

9. **संस्था के दायित्व:**—9.1 संस्थाएं उन्हीं कक्षाओं व संकायों में छात्रों को प्रवेश दे सकेंगी, जिनके संचालन की मान्यता उन्हें दी गई है.

9.2 सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता अथवा मान्यता वृद्धि प्रदान करने संबंधी प्रमाण-पत्र संस्था के प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जावेगा.

9.3 संस्था में अध्यापन करने वाले शिक्षक एवं कर्मचारी किन्ही भी राजनैतिक गतिविधियों में संलग्न नहीं होंगे एवं छात्रों का भी राजनैतिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जायेगा.

9.4 प्रत्येक मान्यता प्राप्त विद्यालय, कक्षावार छात्रों की उपस्थिति पंजियों का संधारण करेगा. शालेय शिक्षा विभाग के अधिकारी आकस्मिक रूप से कभी भी उपस्थिति पंजियों का निरीक्षण कर सकेंगे.

9.5 संस्था में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु पालक-शिक्षक संघ का गठन किया जावेगा.

9.6 मान्यता दी जाने वाली प्रत्येक शाला को श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करना होंगे. कम से कम प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार समस्त शिक्षकों को उनके विषयों का प्रशिक्षण दिलाना होगा.

9.7 मान्यता के लिये निर्धारित मापदण्डों एवं मान्यता प्रदत्त करते समय विहित की गई समस्त शर्तों का अनवरत पालन करना अनिवार्य होगा.

10. **प्रक्रिया/मान्यता शुल्क.**—हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक शाला संचालित करने अथवा शाला में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि किए जाने अथवा माध्यम परिवर्तन/नवीन माध्यम अथवा संकाय वृद्धि के लिये मान्यता की मंजूरी से संबंधित आवेदन-पत्र पर कार्रवाई करने के लिए आवेदक संस्थाओं द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित तथा समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया/मान्यता शुल्क ऐसी प्रक्रिया अनुसार जमा किया जायेगा, जो मान्यता समिति द्वारा विहित की जाये. विभिन्न आवेदनों के साथ निम्नानुसार प्रक्रिया शुल्क देय होगा:—

1. नवीन मान्यता शुल्क हाई स्कूल के लिये रु. 10,500/- तथा हायर सेकेण्डरी के लिये 12,500/-.
2. अतिरिक्त संकाय हेतु रु. 1000/- प्रति संकाय.
3. मान्यता वृद्धि शुल्क हाईस्कूल रु. 2000/- प्रतिवर्ष एवं हायर सेकण्डरी हेतु 2200/- प्रतिवर्ष.
4. नवीन माध्यम/माध्यम परिवर्तन रु. 2500/-.
5. छात्र संख्या में वृद्धि: हाई स्कूल में 200 छात्र से अधिक होने पर प्रति 40 छात्र रु. 1000/- तथा हायर सेकेण्डरी में 300 छात्र से अधिक होने पर प्रति 40 छात्र रु. 1000/- अतिरिक्त मान्यता शुल्क देय होगा.
6. स्थान परिवर्तन रु. 5000/-.

11. **दण्ड मान्यता का निलंबन, मान्यता समाप्ति तथा सुरक्षा निधि का राजसात् किया जाना.**—11.1 नियम 5 एवं नियम 9 में वर्णित मापदण्डों, शर्तों तथा दायित्वों तथा इन नियमों के अंतर्गत समय-समय पर प्रसारित निर्देशों तथा दिशा-निर्देशों की पूर्ति नहीं होने

या उनका उल्लंघन होने की दशा में कलेक्टर को यह अधिकार होगा कि वे दर्शाये गये कारणों से मान्यता प्राप्त संस्था की मान्यता निलंबित कर सकेंगे. ऐसे निलंबन आदेश होने के 30 दिन के अन्दर संस्था को कारण बताओं सूचना-पत्र जारी किया जाना आवश्यक होगा. ऐसा नहीं कर सकने की दशा में निलंबन स्वत: समाप्त हो जावेगा. कारण बताओं सूचना-पत्र के समाधानकारक उत्तर प्राप्त न होने पर कलेक्टर, संस्था को सुनवाई का अवसर देने के बाद सुस्पष्ट लिखित आदेश कारण सहित पारित करते हुये संस्था की मान्यता समाप्त कर सकेंगे. मान्यता समाप्त करने का आदेश पारित करने के पूर्व संस्था का निरीक्षण किसी अधिकारी से कराया जाना अनवार्य होगा. संस्था को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाएगा.

11.2 मान्यता समाप्ति के उक्त निर्णय के साथ संस्था की जमा सुरक्षा निधि पूर्णत: अथवा आंशिक रूप से, जैसा भी आदेश में विहित हो, राजसात् की जा सकेगी.

12. **अपील.**—इन नियमों के अंतर्गत नवीन मान्यता तथा मान्यता वृद्धि एवं अन्य विषयों के लिये प्राप्त आवेदन-पत्रों को अस्वीकृत करने संबंधी पारित आदेशों के विरुद्ध निम्नानुसार अपील की जा सकेगी:—

12.1 नियम 11.1 के अंतर्गत कलेक्टर द्वारा पारित मान्यता समाप्ति के आदेश से संतुष्ट न होने पर ऐसे आदेश के विरुद्ध संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि में प्रथम अपील आयुक्त को की जा सकेगी. आयुक्त द्वारा 30 दिनों की अवधि में निर्णय लिया जाकर आदेश पारित किया जायेगा. आयुक्त द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि में द्वितीय अपील मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी. मान्यता समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

12.2 मान्यता वृद्धि एवं अन्य प्रकरणों में नियम 4 में वर्णित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट न होने पर ऐसे आदेश के विरुद्ध संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि में प्रथम अपील जिला कलेक्टर की जा सकेगी. कलेक्टर द्वारा 30 दिनों की अवधि में अपील का निराकरण किया जाकर आदेश पारित किया जायेगा. कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि में द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी. आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

12.3 नवीन मान्यता के प्रकरणों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने पर, ऐसे आदेश के विरुद्ध संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि में प्रथम अपील आयुक्त को की जा सकेगी. आयुक्त द्वारा 30 दिनों की अवधि में अपील के संबंध में आदेश पारित किया जायेगा. पारित आदेश से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में संस्था द्वारा 30 दिनों की अवधि में द्वितीय अपील मान्यता समिति के समक्ष प्रस्तुत की जा सकेगी. मान्यता समिति का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

13. **सम्बद्धता.**—इन नियमों के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के लिये माध्यमिक शिक्षा मण्डल से परीक्षा संबंधी सम्बद्धता समय पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

14. **निरसन एवं वयावृत्ति.**—14.1 इन नियमों के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से पूर्व से प्रचलित माध्यमिक शिक्षा मण्डल मान्यता विनियम, 2010 शैक्षणिक सत्र 2015-16 से निरस्त माने जायेंगे.

14.2 इन नियमों के शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रभावशील होने के पूर्व तक निर्णित किए हुए मान्यता प्रकरण इसी प्रकार समझे जायेंगे, मानो वे इन नियमों के अंतर्गत निर्णित हुए हो.

14.3 इन नियमों के शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रभावशील होने के पूर्व तक निर्णित मान्यता के प्रकरणों को पुन: नहीं खोला जाएगा.

14.4 इन नियमों के शैक्षणिक सत्र 2015-16 से प्रभावशील होने तक विचाराधीन और उसके पश्चात प्राप्त होने वाले मान्यता प्रकरणों का निराकरण इन नियमों के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एल. सोलंकी, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.